

नारीख  
हुम

हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुम को तामील  
में जारी हुए

19/12/24

श्याम लाल v/s सचयनरायण

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी  
आदीवक्ता अनुपस्थित। वादीगण एवं  
वादी आदीवक्ता को निष्पत्तितार तीन  
बार आवाजें लगाई गई परन्तु वादीगण एवं  
वादी आदीवक्ता उपस्थित नहीं आए।  
समय 5-55 pm हो चुका है। न्यायालय  
में वादीगण एवं वादी आदीवक्ता को  
पुनः एक बार और आवाज लगावाई  
गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।  
वादीगण एवं वादी आदीवक्ता के न्यायालय  
में उपस्थित नहीं आने के कारण  
वादीगण तथा उम्तुन बाद अन्तर्गत  
धारा 53 राजस्थान कारतकारी  
आदिनिष्पत्त को अदम टावरी। अदम  
पैरबी में जारी किया जा रहा है निष्पत्ति  
सरे इतनात सुनाया गया। रिक्ती  
पर्यावरी हो।

पत्रावली माल शुमा  
होकर वाकील दफ्तर हो तथा नम्बर  
से कम हो।

  
19/12/24  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. श्याम लाल पुत्र गिरधारी कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. शंकर लाल पुत्र गिरधारी कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रतनी पुत्री गिरधारी कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. गीता पुत्री गिरधारी कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रामू पुत्री गिरधारी कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. रूपी पत्नी गिरधारी कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. लक्ष्मी पत्नी गिरधारी कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रंग लाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भगवती पुत्र रंगलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. देबी पुत्र नन्दा कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. चम्पा पुत्र नन्दा कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रोशन लाल पुत्र भवानीशंकर सुवालका आयु वयस्क निवासी देवली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. नारायण पुत्र भेरू खाती आयु वयस्क निवासी भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा शाखा प्रबंधक


प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

प्रकरण संख्या 68/2013 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री राधेश्याम शर्मा अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 19.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
19/12/24  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा